



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पो-सदाकत आश्रम, पटना-800010

E-mail: msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट—http://bspcb.bih.nic.in.

पत्रांक :- 408

पटना, दिनांक:- 11-09-26

प्रेषक,

मनोरंजन कुमार सिंह,
क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,
पटना-800023.

विषय: प्रो० रितिक कुमार सिंह, पिता: श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम: मिशन रोड पकड़ी, गैस एजेन्सी, आरा, जिला: भोजपुर, बिहार, द्वारा अरवल जिला स्थित सोन नदी के अरवल सोन-16, कलेर टोला, पूरा कोठी-03 में बालू-घाट, मौजा: पूरा कोठी बंगला, थाना+ब्लॉक: कलेर, जिला: अरवल, बिहार में बालू उत्खनन कार्य हेतु प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

संदर्भ: Terms of Reference ID No: TO26B0107BR5809967N.

महाशय,

उपरोक्त संदर्भित विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-S.O.1533, दिनांक: 14 सितम्बर, 2006 के आलोक में प्रो० रितिक कुमार सिंह, पिता: श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम: मिशन रोड पकड़ी, गैस एजेन्सी आरा, जिला: भोजपुर, बिहार, द्वारा अरवल जिला स्थित सोन नदी के अरवल सोन-16, कलेर टोला, पूरा कोठी-03 में बालू-घाट, मौजा: पूरा कोठी बंगला, थाना+ब्लॉक: कलेर, जिला: अरवल, बिहार से बालू खनन हेतु दिनांक: 03.09.2026, अपराह्न 12:30 बजे अपर समाहर्ता, अरवल की अध्यक्षता में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। प्रासंगिक लोक-सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं सी०डी० की प्रति पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु एतद् द्वारा संलग्न कर भवदीय को सादर अग्रेसारित की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

(मनोरंजन कुमार सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी

प्रतिलिपि: 1. जिला पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ सादर समर्पित।

2. प्रो० रितिक कुमार सिंह, पिता: श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम: मिशन रोड पकड़ी, गैस एजेन्सी आरा, जिला: भोजपुर, बिहार-802301 (E-mail-rksingh2052001@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।

3. श्री नीरज कुमार सिन्हा, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना को निदेश है कि दिनांक 03.09.2026 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं सी०डी० की प्रति पर्षद के वेबसाइट पर डिसप्ले कराया जाय।

अनुलग्नक: यथोपरि।

लोक-सुनवाई का वृत्त

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या: S.O. 1533, Dated 14.09.2006 यथा संशोधित के अनुपालन में बालू-घाटों से बालू का उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से उनकी टिप्पणी, विचार एवं सलाह प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। जिसके अनुपालन हेतु लोक सुनवाई संपन्न कराया जाता है।

प्रो० रितिक कुमार सिंह, पिता: श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम: मिशन रोड पकड़ी, गैस एजेन्सी, आरा, जिला: भोजपुर, बिहार, द्वारा अरवल जिला स्थित सोन नदी के अरवल सोन-16, कलेर टोला, पूरा कोठी-03 में बालू-घाट, मौजा: पूरा कोठी बंगला, थाना+ब्लॉक: कलेर, जिला: अरवल, बिहार में कुल 17.4 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र में 5,63,760 घनमीटर प्रतिवर्ष बालू का उत्खनन के उद्देश्य से राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार, पटना में आवेदन समर्पित किया गया है। राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा तदनुसार Terms of Reference (TOR ID No: TO26B0107BR5809967N) आवेदक को उपलब्ध कराया है।

तदनुसार आवेदक द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सशुल्क आवेदन समर्पित करते हुए लोक सुनवाई संपन्न कराने का अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में दिनांक 03.09.2026 को अपराह्न 12:30 बजे से प्रखण्ड कार्यालय, कलेर, जिला: अरवल में अपर समाहर्ता, अरवल की अध्यक्षता में लोक सुनवाई संपन्न कराई गयी।

आहूत लोक सुनवाई में प्रखण्ड कार्यालय, कलेर के सभागार में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे:-

1. श्री रवि प्रसाद चौहान, अपर समाहर्ता, अरवल;
2. श्री अंजनी कुमार सिन्हा, सहायक पर्यावरण अभियंता; बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मुख्यालय, पटना;
3. श्री अरमान राईन, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, अरवल;
4. श्री मुन्ना कुमार शर्मा, पर्यावरणीय सलाहकार, मेसर्स रियान एन्वायरो प्रा0लि0, पटना;
5. परशुरामपुर, गेलावाँ, पूरा कोठी, दिलावरपुर, गिरवर बिधा, आरा, भोजपुर, सरैया-कच्छवाँ एवं कलेर अंचल के अन्य कुल 26-नागरिक (उपस्थिति सूची संलग्न)।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई आरम्भ करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं प्रस्तावित प्रभाव क्षेत्र के उपस्थित नागरिकों का स्वागत किया गया तथा उन्हें अवगत कराया गया कि प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना के तहत निर्गत Terms of Reference (TOR) के अनुरूप बालू उत्खनन, इनके उठाव एवं परिवहन के दौरान उत्पन्न जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कराया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। तदोपरान्त उपस्थित नागरिकों को प्रदूषण संबंधित अन्य कठिनाईयों अथवा सुझाव, टिका-टिप्पणी एवं अपना विचार रखने का मौका प्रदान किया जायेगा।

प्रासंगिक परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार से अनुरोध किया कि राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्गत Terms of Reference (TOR) के तहत तैयार किये गये कार्यकारी सारांश एवं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में संभावित जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु किये गये प्रावधानों के संबंध में उपस्थित नागरिकों को सविस्तार अवगत कराया जाय।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा यह सूचित किया कि नदी से बालू का उत्खनन मात्र तीन मीटर गहराई तक ही किया जायेगा। बालू का उठाव एवं परिवहन हेतु PUC प्रमाण पत्र प्राप्त वाहनों को ही उपयोग में लाया जायेगा। बालू घाट से मुख्य पथ तक पहुँचने वाले पथ के दोनों ओर लगभग 180-वृक्ष लगाये जायेंगे। सड़कों पर नियमित जल छिड़काव एवं साफ-सफाई का कार्य कराया जायेगा। बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से पूर्णतः ढक कर ही परिवहन का कार्य किया जायेगा। वायु प्रदूषण एवं भू-तल जल स्तर का अनुश्रवण निर्धारित अवधि में किया जायेगा तथा संबंधित विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा तदोपरान्त उपस्थित नागरिकों से अपना विचार, टिका-टिप्पणी एवं सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। निम्नलिखित नागरिकों द्वारा अपना विचार/सुझाव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया:-

क्रमांक	ग्रामीण का नाम/पता	सुझाव/प्रतिक्रिया	दिये गये उत्तर
1.	श्री भरत कुमार सिंह, पिता: स्व० गोपाल सिंह, ग्राम: गेरवाँ, जिला: अरवल	प्रस्तुत परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन में सुझाये गये प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से मैं सतुष्ट हूँ।	श्री भरत कुमार सिंह द्वारा परियोजना की स्थापना की स्वीकृति देते हुए कहा की हमें इस परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
2.	श्री जयनाथ यादव, पिता: श्री सुधेश्वर सिंह, ग्राम: कतराईन, जिला: अरवल	गाँव एवं नदी के बीच बाँध-तटबंध को स्थापित किया जाय ताकि बाढ़ से गाँव एवं ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर इस परियोजना के तहत रोजगार सुनिश्चित कराया जाय।	अपर समाहर्ता द्वारा सूचित किया गया कि गाँव एवं नदी के बीच बाँध-तटबंध का कार्य सरकार के अधीन है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि स्कूल के आधार पर स्थानीय लोगों को इस परियोजना में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दी जायेगी।

तदोपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा प्रासंगिक प्रस्ताव को स्वीकृत करने एवं इसकी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA, Bihar) को अग्रेसारित करने हेतु स्थानीय नागरिकों से स्वीकृति की मांग की गयी। उपस्थित नागरिकों द्वारा हाथ उठाकर ध्वनि मत से प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति दी गयी।

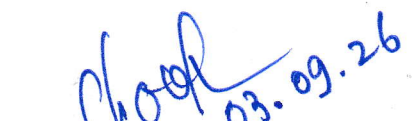
लोक-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना विचार/सलाह देने हेतु उपस्थित नागरिकों एवं सभी उपस्थित पदाधिकारियों को पक्ष के अभियंता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

लोक सुनवाई में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों की सहमति से प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को अग्रेसारित करने की एतद् द्वारा अनुशंसा की जाती है।


03/09/26

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सहायक पर्यावरण अभियंता,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पक्ष, पटना


03.09.26
(रवि प्रसाद चौहान)
अपर समाहर्ता, अरवल

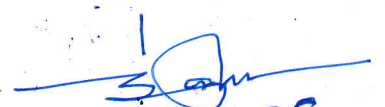
उपस्थिति सूची

रितिक कुमार सिंह, पिता: अशोक कुमार सिंह, पता: मिशन रोड, पकड़ी, गैस एजेन्सी, जिला—भोजपुर, राज्य—बिहार, द्वारा अरवल सोन नदी स्थित, अरवल सोन—16 (कलेर टोला पुरा कोठी—03) बालू घाट, मौजा—पुरा कोठी बंगला, प्रखंड—कलेर, जिला—अरवल का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 03.09.2026 को 12:30 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, कलेर, जिला—अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	रवि प्रसाद चौहान	Adm. Arwal	choh 3.3.2
2.	श्री अजयान रायन	minus Input Arwal	Arwal 03.09.21
3.	अंजनी कुमारिका	ल० प० अ० विहार राज्य प्रहरी निगंज पद, 4275	 03/09.26
4.	कुला कुमार शर्मा	Ram Guroo Pvt Ltd. Consultant Patna	May
5.	Ritik Kumar Saini	 Ritik Kumar Saini	Ritik K L 03.09.26
6.			
7.	जयनान सिंह प्रो सिद्धेश्वर सिंह	ग्राम कलाहति प० कलहति उ० क०	जयनान सिंह
8.	शाहिदा रानी पिता : - नुरज्जमान कौ	ग्राम - कलहति प० - कलहति	Ms Shalida Khan

9.	दुर्निल कुमार जमीरी साव	ग्राम+पोस्ट- बेलौं धाना-कलेर (अरवल)	दुर्निल कुमार
10.			
11.	Santosh Kumar सन्तोश कुमार शंकरपन्थ साव	Bongla Kothi PS Kaler ग्राम मपीठ-कलेर अरवल	Santosh Kumar सन्तोश कुमार
12.	वसंत कुमार विष्णुकान्त प्रसाद	ग्राम परमपुरापुर पोस्ट शंकर साव कलेर अरवल	
13.	Rakesh Kumar Suresh kr. singh	Vill + Post - Belawon P.S. - Kaler Dist - Arwal	Rakesh kr
14.	मालू सिंह		मालू सिंह
15.	दीपक कुमार	Vill + Post - Kaler Dist - Arwal	दीपक कुमार
16.	मारा सिंह	बेलौं	
17.	मुकेश कुमार	ग्राम कलेर टोला पूराकोठी	
18.	श्री जगन्त कुमार	ग्राम दिलावर पुर	श्री जगन्त कुमार
19.	मनोज कुमार	ग्राम-मिनापलडा	मनोज कुमार

20.	रविन्द्र कुमार	मिहिर	रविन्द्र कुमार
21.	लक्ष्मण कुमार-सिन्हा	गिरान विहा	लक्ष्मण कुमार-सिन्हा
22.	मुकेश कुमार भादव	आरा लोडपुर	मुकेश कुमार भादव
23.	Rakesh Kumar	Kachwan Rohas	Rakesh Kumar
24.	Vigender Kumar	Kaler	Vigender Kumar
25.	Rakesh Kumar	Kaler	Rakesh Kumar
26.	राजु भादव	कलैर	राजु भादव
27.	मल्लिकार्जुन	मल्लिकार्जुन-कलैर रौहान-कलैर	(73)
28.	Paramjeet Kumar	कलैर	Paramjeet
29.	Singh Kumar	Kaler	Singh
30.	Margus Kumar	Kaler	Margus


 03.09.20